उत्तर प्रदेश में पहली बार होगा वितरण प्रणाली में बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग

अब अंगूठे का निशान देकर मिलेगा राशन

- डीएम ने दिखाया डेमो, पहले चरण के लिए चार गांवों के डीलर चिह्नित

ग्रेटर नोएडा (ब्यूरो)। साधारण रजिस्टर में फर्जी एंट्री कर डीलर अब कालाबाजारी नहीं कर पाएंगे। इसे रोकने के लिए राशन वितरण प्रक्रिया को बायोमेट्रिक सिस्टम से लेस किया रहा है। डीलर के पास मौजूद मशीन पर अंगूठे के निशान देने के बाद ही राशन मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक बिल के आधार पर भुगतान होगा। जिलाधिकारी ने सिस्टम को लागू करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन और पूरी प्रक्रिया का डेमो दिखाया। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में प्वाइंट ऑफ सेल मशीन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इस्तेमाल के लाभ के बारे में जानकारी दी। यूपी में इसे पहली बार लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद के दौलत-रजपुरा में रामवती, मिलक लच्छी में कमलेश, रानौली लतीफपुर गांव के योगेश और किशोरपुर गांव के सुरेंद्र की दुकान पर चल रहे राशन कार्डों को डाटा सर्वर में फीड कर मशीन से कनेक्ट किया जाएगा। मशीन राशन डीलर के अंगूठे के निशान समेत उसकी आईडी से ही चालू होगी। प्रयोग सफल होने पर सरकारी योजनाओं के वितरण कार्यों में मशीन को उपयोग में लाया जाएगा। इसे पहले आधार कार्ड के बजाए राशन कार्ड नंबर से कनेक्ट किया जाएगा।

परिवार के सदस्य को ही मिलेगा राशन

उपभोक्ता का कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डालने पर उसका राशन का पूरा ब्योरा मशीन पर प्रदर्शित होगा। इससे डीलर रजिस्टर में फर्जी एंट्री नहीं कर पाएगा। परिवार के सदस्य का नाम से मैच होने के बाद ही राशन दिया जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति कार्ड ले जाकर राशन नहीं ले पाएगा।

उपभोक्ता को मिलेगी रसीद

मशीन में जरूरी जानकारी फीड करने के बाद कुल राशि की आवाज आएगी। रसीद भी उपभोक्ता को मिलेगी। धनराशि का बिल बनते ही इसकी जानकारी उपभोक्ता को मिल जाएगी।

प्रत्येक दुकानदार पर रहेगी नजर

अधिकारी प्रत्येक दुकानदार के द्वारा राशन वितरण की जानकारी हर समय दफ्तर में ही बैठकर हासिल कर सकते हैं। उन्हें प्रत्येक दुकान के बकाया स्टॉक की जानकारी होगी। डाटा से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।